**Communities and Justice / समुदाय और न्याय विभाग**

 

बलपूर्वक नियंत्रण किए जाने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित बच-निकले व्यक्तियों की सहायता

बलपूर्वक नियंत्रण के शिकार पीड़ित-बच निकले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा मामलों के अग्रिम व्यवसायियों के लिए परामर्श-पत्र (टिप-शीट)

**बलपूर्वक नियंत्रण उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे बार-बार दुख-तकलीफ़ पहुंचाता है, डराता है या अलग-थलग कर देता है। यह घरेलू दुर्व्यवहार है और इससे गंभीर नुकसान हो सकता है।**

न्यू साउथ वेल्स में, वर्तमान या पूर्व अंतरंग-साथी संबंधों में एक द्वारा दूसरे को बलपूर्वक नियंत्रण में रखना एक अपराध है और इसकी रिपोर्ट न्यू साउथ वेल्स पुलिस बल (पुलिस) को की जा सकती है।

यह टिप-शीट समुदाय एवं न्याय विभाग (DCJ) तथा पुलिस द्वारा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा (DFSV) व्यवसायियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है, जो बलपूर्वक नियंत्रण के शिकार, पीड़ित-बच निकले व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं।

**टिप-शीट उल्लेख करती है:**

* न्यू साउथ वेल्स में बलपूर्वक नियंत्रण अपराध
* बलपूर्वक और नियंत्रण करने वाले व्यवहार के उदाहरण
* पुलिस को बलपूर्वक नियंत्रण की रिपोर्ट करते समय क्या अपेक्षा करनी चाहिए
* पुलिस को रिपोर्ट करने में पीड़ित-बच निकले व्यक्ति को सहायता देने के बारे में सलाह।

टिप-शीट कानूनी सलाह नहीं है। कानूनी सलाह 1800 979 529 पर Legal Aid NSW Domestic Violence Unit (लीगल एड न्यू साउथ वेल्ज़ घरेलू हिंसा इकाई) से ली जा सकती है।

**इस टिप-शीट में उल्लिखित शर्तों में:**

* 'पीड़ित-बच निकले व्यक्ति' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो बलपूर्वक नियंत्रण किए जाने का अनुभव कर रहा/ही है और जो किसी DFSV व्यवसायी के साथ काम कर रहा हो सकता है।
* 'अंतरंग साथी' से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो विवाहित हैं या रहे हैं, डी-फ़ैकटो (de facto) संबंध में हैं, या अंतरंग (नज़दीकी) व्यक्तिगत संबंध में हैं, फिर चाहे अंतरंग संबंध में शारीरिक संबंध शामिल हों या न हों/रहे हों या न रहे हों।

अप्रैल 2025

**न्यू साउथ वेल्स में बलपूर्वक नियंत्रण अपराध क्या है?**

न्यू साउथ वेल्स में अपने किसी वर्तमान या पूर्व अंतरंग साथी को बलपूर्वक नियंत्रण में रखना, 1 जुलाई 2024 से एक आपराधिक जुर्म बन गया है। अपराध अधिनियम 1900 की धारा 6A के तहत बलपूर्वक नियंत्रण अपराध को 'वर्तमान या पूर्व अंतरंग साथियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार’ (Abusive behaviour towards current or former intimate partners)' कहा जाता है। इस अपराध के लिए सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

यह अपराध तब लागू होता है जब कोई वयस्क अपने वर्तमान या पूर्व अंतरंग साथी को मजबूर करने या नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, बार-बार उसके विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार करता है।

**अपमानजनक व्यवहार में निम्नलिखित शामिल होता है:**

* किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा या धमकी या उसे डराना-धमकाना और/या
* जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उस पर दबाव डालना और/या उसे नियंत्रित करना।

**इसके अतिरिक्त, प्रोसीकिउशन (पुलिस के वकील) को यह साबित करना होगा कि किसी भी विवेकशील व्यक्ति के अनुसार ऐसे अपमानजनक दुर्व्यवहार से, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, निम्नलिखित नतीजे सामने आते हों:**

* मन में डर कि शिकायतकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि बच्चे) के खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया जाएगा, और/या
* शिकायतकर्ता की सामान्य दिन-प्रतिदिन की कुछ या सभी गतिविधियों में शामिल हो पाने की क्षमता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।

प्रोसीकिउशन को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि भय या प्रभाव उत्पन्न हुआ था।

**बलपूर्वक एवं नियंत्रणकारी व्यवहार के कुछ उदाहरण क्या हैं?**

बलपूर्वक नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के शारीरिक या ग़ैर-शारीरिक दुर्व्यवहार शामिल हो सकते हैं। हर रिश्ते में इसके अलग-अलग रूप दिखाई दे सकते हैं। कुछ बलपूर्वक और नियंत्रणकारी व्यवहार अपने आप में मामूली लग सकते हैं, लेकिन अन्य व्यवहारों के साथ मिल जाने पर, या जब उस आचरण को समय के साथ बार-बार दोहराया जाता है, तो वे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बलपूर्वक नियंत्रण को पहचानना कठिन हो सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म हो सकता है तथा अक्सर धीरे-धीरे होता है।

**बलपूर्वक और नियंत्रणकारी व्यवहार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:**

* किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सकुशलता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, जैसे कि लगातार किसी का अपमान और आलोचना करना, किसी स्थिति की सच्चाई को नकारना, बदलना या चतुराई से नियंत्रित या प्रभावित करना, ताकि दूसरे व्यक्ति को उनकी यादों, धारणाओं और अनुभवों पर संदेह हो (गैसलाइटिंग)
* किसी को शर्मिंदा करना, अपमानित करना या छोटा महसूस करवाना जैसे कि उनकी निजी जानकारी साझा करना या ऐसे चुटकुले बनाना जो उनके आत्मसम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाते हों
* किसी को चोट पहुंचाने, नियंत्रित करने या उनमें डर पैदा करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना, जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से शारीरिक चोट पहुंचाना, चीज़ें फेंकना या तोड़ना, या किसी को असुरक्षित महसूस कराने के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाना।
* धमकियाँ देना जैसे कि वीज़ा प्रायोजन (स्पान्सर्शिप) वापस लेने की धमकी देना, दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने या विचारों के साथ हेरफेर करने के तरीके के रूप में, खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना
* किसी व्यक्ति को उसके दोस्तों, परिवार और समुदाय से अलग करना, जैसे कि उसका फोन छीन लेना ताकि वह परिवार और दोस्तों से संपर्क न कर सके
* किसी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सीमित करना या उनके दिन-प्रतिदिन के विकल्पों को नियंत्रित करना, जैसे कि इस बारे में नियम बनाना कि वे क्या पहन सकते हैं क्या नहीं, या उस व्यक्ति को घर से बाहर जाने या अकेले बाहर जाने से रोकना
* किसी व्यक्ति की धन तक पहुंच या धन कमाने की क्षमता को नियंत्रित या सीमित करना, जैसे कि उसे धन कमाने के लिए घर से बाहर काम करने की अनुमति न देना
* किसी व्यक्ति की गतिविधियों, वो किससे बातचीत करते/ती हैं या उनकी गतिविधियों पर व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन निगरानी रखना या ट्रैक करना, जैसे कि उनकी अनुमति के बिना उनके ईमेल और टेक्स्ट संदेश पढ़ना
* किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति या समुदाय से अलग करना या उसे अपनी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान व्यक्त करने से रोकना, जैसे उसे अपनी सांस्कृतिक भाषा न बोलने देना
* किसी व्यक्ति पर यौन क्रियाओं के लिए दबाव डालना या मजबूर करना या उनके प्रजनन विकल्पों को नियंत्रित करना, जैसे कि इस बारे में नियम बनाना किसी व्यक्ति को कब यौन संबंध बनाने चाहिए,
* किसी व्यक्ति को धमकाने, चतुराई से नियंत्रित या प्रभावित करने या नियंत्रित करने के लिए प्रणालियों, सेवाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना, जैसे कि बाल संरक्षण या आप्रवासन सेवाओं को झूठी रिपोर्ट करना
* बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, जैसे कि बच्चे के साथ माता-पिता या देखभाल करने वाले के भावनात्मक बंधन का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित करना या डराना-धमकाना, बच्चे के सामने माता-पिता या देखभाल करने वाले के साथ दुर्व्यवहार करना ताकि वे उस दुर्व्यवहार को देखें, सुनें और अनुभव करें, और/या बच्चे को लक्षित करते हुए सीधा बच्चे के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, जिसमें बच्चे को धमकाना, अपमानित करना, नज़र रखना और शारीरिक दुर्व्यवहार करना शामिल हैं
* व्यक्ति के किसी पशु के साथ भावनात्मक बंधन के चलते उस पशु के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, उसे डराना या नियंत्रित करना, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पालतू जानवर को उसकी अनुमति के बिना बेच देना या कहीं दे देना, किसी के पालतू जानवर को चोट पहुंचाना, डराना या जान से मार देना।

**यह अपराध केवल वर्तमान या पूर्व अंतरंग साथी वाले रिश्ते पर ही लागू होता है।**

किसी भी रिश्ते में बलपूर्वक नियंत्रण रखना ग़लत है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स में जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान या पूर्व अंतरंग साथी के प्रति इस तरह का व्यवहार करता है, तो यह एक आपराधिक जुर्म होता है । यह कानून केवल 1 जुलाई 2024 के बाद होने वाले अपमानजनक व्यवहार पर लागू होगा।

जब अन्य प्रकार के रिश्तों में बलपूर्वक नियंत्रण का उपयोग किया जाए या यदि ऐसा व्यवहार 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ हो, तो यह व्यवहार अन्य अपराधों के तहत भी आ सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब लोग साधारण डेटिंग कर रहे हों, किसी गहरे रिश्ते में हों या एक-दूसरे से अलग हो गए हों। दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति परिवार का सदस्य, सह-निवासी या देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए।

**जब बलपूर्वक नियंत्रण की सूचना पुलिस को दी जाती है तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं?**

पुलिस का काम होता है कि बलपूर्वक और नियंत्रणकारी व्यवहार सहित सभी आपराधिक मामलों की जांच करे। DFSV व्यवसायियों और पीड़ित-बच निकले वयक्तियों को बलपूर्वक नियंत्रण के संबंध में अपनी खुद की जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपराधिक जांच पर असर पड़ सकता है।

पुलिस बलपूर्वक नियंत्रण सहित सभी घरेलू और पारिवारिक हिंसा की विस्तारपूर्वक जांच करेगी।

**पुलिस की जांच में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:**

* पीड़ित-बच निकले लोगों और गवाहों के बयान लेना
* भौतिक और गैर-भौतिक सबूत इक्कठे करना
* उपलब्ध सबूतों के आधार पर उपयुक्त अपराध का आकलन
* पीड़ित-बच निकले व्यक्ति और किसी बच्चे की सुरक्षा बढ़ाने हेतु आशंकित घरेलू हिंसा आदेश (ADVO) के लिए आवेदन करना, जहाँ ऐसा करने के पर्याप्त आधार मौजूद हों
* अपराध के आरोप तय करना, जहां पर्याप्त रूप से साक्ष्य दर्शा रहे हों कि घरेलू हिंसा का अपराध हुआ है (साक्ष्यों पर निर्भर करते हुए, यह मुमकिन है कि बलपूर्वक नियंत्रण का आरोप हमेशा सबसे उपयुक्त अपराध न भी हो)
* पीड़ित-बच निकले व्यक्ति को पुलिस के संपर्क विवरण तथा मामले पर हो रही प्रगति के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करना।

**मैं उन पीड़ित-बच निकले व्यक्तियों की सहायता कैसे कर सकता/ती हूँ जो बलपूर्वक नियंत्रण के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं?**

प्राथमिक विचाराधीन बिंदु पीड़ित-बच निकले व्यक्ति की सुरक्षा होती है। यदि पीड़ित-बच निकले व्यक्ति घरेलू दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने का चयन करते हैं, तो उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर दुभाषिए की सुविधा प्रदान कराना भी शामिल है। पीड़ित-बच निकले व्यक्ति किसी भी समय बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के घरेलू दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पुलिस में कर सकते हैं। पुलिस लगाए गए आरोपों की विस्तारपूर्वक जांच करती है तथा पीड़ित-बच निकले व्यक्ति की सुरक्षा पर विशेष ज़ोर देती है।

एक DFSV व्यवसायी पुलिस को संबंधित दस्तावेज़ या बयान दे कर जांच में सहयोग कर सकता है। यह दस्तावेज़, जिसमें केस नोट्स शामिल हो सकते हैं, पीड़ित-बच निकले व्यक्ति की रिपोर्ट का समर्थन कर सकते हैं। पुलिस को केस नोट्स या बयान देने से पहले, DFSV व्यवसायियों को चाहिए कि अपने संगठन की संबंधित नीतियों को देखें और खुलासा करने पर लागू होने वाली सेवाओं के बारे में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मार्गदर्शन प्राप्त करें, जैसे कि सहमति प्राप्त करने संबंधी आवश्यकताएं या गोपनीय बातचीत का खुलासा करने के क्या माइने हो सकते हैं या ऐसी बातें जो 'privilege/विशेषाधिकार'नामक कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न के बारे में की गई बातें भी शामिल हैं।

**सहायक जानकारी और दस्तावेज़ों के कुछ उदाहरण जो घरेलू दुर्व्यवहार की पुलिस जांच में सहायता कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं:**

* ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन कॉल, वॉइसमेल संदेश, सोशल मीडिया संदेश/पोस्ट
* किस दिनांक, समय, स्थान पर कैसा-कैसा व्यवहार या बातें हुईं, इनके समयवार क्रम में रखे गए रिकार्ड
* वित्तीय, चिकित्सीय और रोज़गार रिकॉर्ड
* तस्वीरें (क्षति पहुंचाई गई चीज़ें/संपत्ति, व्यक्तिगत चोटों आदि सहित), सीसीटीवी फुटेज (कैमरा रिकॉर्डिंग)
* बच्चों सहित परिवार के अन्य सदस्यों साथ किए गए भावनात्मक और/या शारीरिक दुर्व्यवहार के दस्तावेज़
* पीड़ित-बच निकले व्यक्ति की डायरी प्रविष्टियाँ
* पुलिस, सहायता सेवाओं और हेल्पलाइनों के साथ हुई बातचीत के रिकॉर्ड
* आवास, सेंटरलिंक जैसे सरकारी लाभों से संबंधित किए गए आवेदन या दस्तावेज़
* घर, कार, फ़ोन, लैपटॉप पर स्पाइवेयर/मैलवेयर/ट्रैकिंग/रिकॉर्डिंग डिवाइसों के लिए आईटी ‘sweeps/स्वीपस’ के परिणाम
* पशु दुर्व्यवहार और लापरवाही संबंधी दस्तावेज़।

**ऐसे केस नोट्स जो आपराधिक कार्यवाही का विषय हों, मुझे उन्हें कैसे तैयार करने चाहिए ?**

**केस नोट्स में निम्नलिखित को शामिल करने से लाभ हो सकता है:**

* वास्तविक विवरण और तथ्य
* लोगों के व्यक्तिगत हवाले से बताई गई बातें और विशेषज्ञ/ज्ञों की राय
* अपमानजनक व्यवहार के प्रति भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं के विवरण
* पीड़ित-बच निकले व्यक्ति और बच्चों समेत, परिवार के सदस्यों पर अपमानजनक व्यवहार के होने वाले प्रभाव/वों का विवरण
* कोई ऐसे गवाह जो सेवार्थी के बयान का समर्थन करने में सक्षम हो सकते हों
* जहां तक संभव हो, नियमित रूप से सबसे नवीनतम जानकारी

**क्या मुझे पीड़ित-बच निकले व्यक्तियों को रिकॉर्ड बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए?**

**यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो:**

* पीड़ित-बच निकले लोगों को उनकी गोपनीयता, सुरक्षा बनाए रखते हुए लॉग और डायरी प्रविष्टियाँ बनाने में सहायता करें और इस बात से बचें कि अपराधी अपना व्यवहार बद से बदतर कर दिखाए
* सभी संबंधित दस्तावेज़ों को संभाल के रखें - आपको फ़ोटो लेने, स्क्रीनशॉट लेने या रिकॉर्डों को प्रिंट करने की आवश्यकता हो सकती है (जैसे कि टेक्स्ट संदेशों, संपर्क सूचियों (कान्टैक्ट लिस्ट) और कॉलों के लॉग के स्क्रीनशॉट/प्रिंट)। इन चीज़ों को डिलीट/नष्ट न करें।
* रिकॉर्डों को संरक्षित करने के तरीकों पर विचार करें (जैसे कि टेल्को या सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल/गतिविधि की जानकारी के लिए एक 'preservation letter/संरक्षण पत्र') [फेसबुक की 'अपनी जानकारी डाउनलोड करें’ सुविधा](https://www.facebook.com/help/212802592074644/))।

**Empower You (एम्पावर यू) के माध्यम से रिकॉर्ड बनाना और बनाए रखना:**

रिकॉर्डस् को पारंपरिक प्रारूप में (कागज़ और पेंसिल का उपयोग करके) या इलेक्ट्रॉनिक रूप से (उदाहरण के लिए ‘Empower You/एम्पावर यू’ एप्लिकेशन (ऐप) में) रखा जा सकता है।

‘Empower You’ ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और पीड़ित-बच निकले लोगों को (फोटोग्राफ, ईमेल और टेक्स्ट संदेश सहित) हो चुकी और/या वर्तमान में हो रही घटनाओं का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के सक्षम बनाता है। ‘Empower You’ ऐप में सहायता सेवाओं की एक व्यापक सूची भी उपलब्ध है। इस ऐप की निगरानी पुलिस द्वारा नहीं की जाती है, न ही इसे क्लाउड सेवा के माध्यम से संग्रहीत किया जाता है। सारे डेटा का रख-रखाव उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है, डिवाइस पर संग्रहीत (स्टोर) किया जाता है और उसे पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।

**यदि बलपूर्वक नियंत्रण की सूचना पुलिस को दी जाए तो कौन से अन्य कानून लागू हो सकते हैं?**

**जहां किसी पर ‘घरेलू हिंसा अपराध’ का आरोप लगाया जाता है, वहां निम्नलिखित शक्तियां और कानून लागू हो सकते हैं:**

* ADVO (एडीवीओ) न्यायालय या पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश होते हैं, जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से बचाना होता है जिसके साथ उसका घरेलू संबंध है या था, जिसके अनुसार अपराधी को कुछ किस्म के व्यवहार(रों) से सीमित या प्रतिबंधित किया जाता है। ADVO की शर्तों का उल्लंघन करना एक आपराधिक जुर्म है। ADVO तब बनाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को उचित आधार पर डर हो कि दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ 'घरेलू हिंसा का अपराध' करेगा
* घरेलू हिंसा अपराधों की जांच के लिए विशेष पुलिस शक्तियां, जैसे पिस्तौल वग़ैरा को ज़ब्त करने और हिरासत में रखने की शक्तियां।

**जहां मामला अदालत में जाता है, वहां निम्नलिखित लागू हो सकते हैं:**

* पुलिस कुछ परिस्थितियों में घरेलू हिंसा अपराधों और संबंधित ADVO कार्यवाहियों के लिए अदालती मामलों के दौरान मुख्य साक्ष्य के रूप में पीड़ित बच निकले व्यक्ति के बयानों की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकती है
* अदालत में शिकायतकर्ताओं के लिए सुरक्षा जैसे सुनवाई में आम जनता या मीडिया कर्मियों के आने पर मनाही (closed court) का अधिकार, साक्ष्य देते समय किसी सहायक व्यक्ति की उपस्थिति, तथा कहीं दूर से या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से गवाही देने का अधिकार। घरेलू हिंसा के अपराध के बारे में शिकायत न किए जाने या देरी से किए जाने पर विचार करने के बारे में न्यायाधीश द्वारा ज्यूरी (निर्णायक समिति) को अनिवार्य चेतावनियां भी दी जा सकती हैं।
* सज़ा के सभी पहलूओं को विचाराधीन रखते हुए, घरेलू हिंसा के अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को पूर्णकालिक कैद या ‘निगरानी आदेश’ (सुपरवाइज़ड ऑर्डर) अधीन रहने की सज़ा सुनाई जाएगी, जब तक कि अदालत यह न समझे कि कोई अन्य सज़ा अधिक उपयुक्त है और इसके कारण बताए जाएं।

**बच्चों और युवाओं की सुरक्षा और कल्याण:**

* व्यवसायियों के लिए संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार और लापरवाही की सूचना सरकारी प्राधिकारियों को देना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। बाल संरक्षण हेल्पलाइन 13 21 11 पर 24/7 उपलब्ध है।
* जब ऐसे किसी कर्मी, जिनके लिए इन बातों की रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है (mandatory reporters) को किसी बच्चे या युवा की सुरक्षा, कल्याण या भलाई के बारे में चिंता हो, जिसमें घरेलू दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, तो उन्हें अपनी सेवा की नीतियों को विचार में रखना चाहिए और यह निर्धारित करने के लिए न्यू साउथ वेल्ज़ अनिवार्य रिपोर्टर गाइड (NSW Mandatory Reporter Guide) का उपयोग करना चाहिए कि क्या बाल संरक्षण हेल्पलाइन को रिपोर्ट करना आवश्यक है; और वैकल्पिक कार्यवाहियों और सहायता विकल्पों की पहचान करनी चाहिए।

**अतिरिक्त सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है?**

यदि कोई पीड़ित-बच निकला व्यक्ति तत्काल खतरे में है, तो पुलिस को ट्रिपल जीरो (000) पर फ़ोन करें।

बलपूर्वक नियंत्रण के संबंध में अतिरिक्त सहायता या कामकाजी घंटों के बाद सहायता प्राप्त करने के लिए, पीड़ित-बच निकले व्यक्ति 1800RESPECT को 1800 737 732 पर फ़ोन कर सकते हैं या सहायता और जानकारी के लिए 1800respect.org.au पर जा सकते हैं। वे 24/7 उपलब्ध हैं।

जो पुरुष अपने रिश्तों में दुर्व्यवहार करते हैं और अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, वे सहायता के लिए 1300 766 491 पर Men’s Referral Service (पुरुष रैफ़रल सेवा) को फ़ोन कर सकते हैं सहायता के लिए www.ntv.org.au/mrs/ पर जा सकते हैं। यह एक निःशुल्क, गोपनीय एवं गुमनाम सेवा है जो 24/7 उपलब्ध है।

**अतिरिक्त जानकारी और लिंक**

ऐसे पीड़ित-बच निकले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के बारे में जानकारी के लिए, जिनका मामला अदालत में चला जाता है, तथा जिन्हें अदालत में साक्ष्य (गवाही) देने के लिए कहा जा सकता है, कृपया [लीगल एड वेबसाइट](https://www.legalaid.nsw.gov.au/help-in-other-languages) देखें।

बलपूर्वक नियंत्रण और अपमानजनक व्यवहार के उदाहरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए न्यू साउथ वेल्ज़ सरकार की [बलपूर्वक नियंत्रण वेबसाइट](https://www.nsw.gov.au/family-and-relationships/coercive-control/languages) पर जाएं।

गोपनीयता और ‘यौन उत्पीड़न बातचीत विशेषाधिकार सेवा’ (Sexual Assault Communications Privilege Service) के बारे में जानकारी के लिए, इस [सबपीना सर्वाइवल गाइड](https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/753.pdf) को देखें।

'Empower You' ऐप की गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: [गोपनीयता नीति – “Empower You” ऐप](https://www.police.nsw.gov.au/applications/empoweryou/privacy_policy)।

रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से फेसबुक से जानकारी डाउनलोड करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए, इस [फेसबुक गाइड](https://www.facebook.com/help/212802592074644?helpref=faq_content) को डाउनलोड करें।